

राजनीतिक उथल-पुथल के संकेत, कुछ राशियों के लिए शुभ वर्ष, 2024 में पड़ेंगे दो सूर्य, दो चंद्रग्रहण

हरिभूमि, जबलपुर

ग्रह-नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के स्थान में बदलाव व ग्रहणों के साथ ही इंसान के भाग्य में भी परिवर्तन होता है। साल 2024 में भी चार ग्रहण देखने को मिलेंगे। इनमें से दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए वर्ष में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन ही लगने वाला है। 25

मार्च सोमवार के दिन यह चंद्रग्रहण पड़ेगा। अन्य तीन ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका सूतक यहाँ नहीं लगेगा। चांभूदा दरबार पुजारी पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि इन ग्रहणों का मिलाजुला असर पड़ेगा। मकर, तुला व धनु राशि के लिए ये ग्रहण शुभ होंगे। वहीं मेष, कन्या, सिंह राशियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इन ग्रहणों के प्रभाव से राजनीतिक उथलपुथल भी होने के संकेत हैं।



शुभ, धार्मिक कार्य होते रहेंगे

पंडित शिवशंकर तिवारी ने बताया कि जहाँ-जहाँ पर चंद्र व सूर्य ग्रहण दिखाता है, वहीं पर ही इसका असर माना जाता है। इसलिए सूतक को भी वहीं मान्य माना जाता है। बता दें कि वर्ष 2024 के दोनो चंद्र व सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आने वाले हैं। यहाँ वजह है कि इन ग्रहणों के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ या फिर धार्मिक कार्य करने में कोई मनाही नहीं रहेगी।



चारों के सूतक नहीं

पंडित शिवशंकर तिवारी के अनुसार साल 2024 में पहला ग्रहण 25 मार्च को लग रहा है। प्रथम चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 04 घंटे 36 मिनट होगी। वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। द्वितीय चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 04 घंटे 04 मिनट रहेगी। साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण आठ अप्रैल को पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि चार घंटे 39 मिनट होगी। दूसरा सूर्य ग्रहण दो अक्टूबर 2024 को लगेगा। द्वितीय सूर्य ग्रहण की कुल अवधि छह घंटे चार मिनट होगी। इनका असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इनका सूतक भी यहाँ मान्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रथम नगर आगमन कल

संभागीय बैठक की कैबिनेट जैसी तैयारियां

जबलपुर। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जबलपुर आ रहे हैं। यहां वे शक्ति भवन में सुबह संभाग संभाग स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक करेंगे। दिन में गैरीसन ग्रांड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं शाम को गवारीघाट में महाआरती में शामिल होंगे। सीएम के प्रथम नगर आगमन को देखते हुये जिला प्रशासन का फर्श से अर्ध तक अमला जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम के प्रथम नगर आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिये भारतीय जनता पार्टी नगर एवं ग्रामीण जुट गई है। तैयारियों को सुनिश्चित करने सोमवार सुबह प्रभारी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत जयति सिंह और अपर कलेक्टर मिशा सिंह भी शक्ति भवन में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंची।



गैरीसन में सभा, गवारीघाट में महाआरती

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सदर स्थित गैरीसन ग्रांड में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं शाम को नर्मदा के गवारीघाट तट पर नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। संभागीय बैठक के लिये शक्ति भवन का चयन किया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा यहां कैबिनेट स्तर की बैठक की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटलें बुकी गई हैं, उससे कैबिनेट की बैठक को बल मिला रहा है। हालांकी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। भाजपा संगठन स्तर पर भी तैयारियां जारी हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले 29 दिसम्बर को जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के सभागार में अपर मुख्य सचिव विनाद कुमार द्वारा संभाग स्तरीय समीक्षा की जा चुकी है। इसके चलते प्रशासनिक कामकाज के ढीले पेंच कसे जा रहे हैं। इसमें कानून और व्यवस्था से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास सम्बन्धित परियोजनाओं पर फोकस बढ़ गया है।

तीन होटलें व रेस्ट हाउस बुक

वहीं दूसरी ओर जबलपुर में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक की खबर तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा कैबिनेट के हिसाब से ही तैयारी की जा रही है। शहर के सर्पिंट हाउस, के अलावा होटल विजन महल, नर्मदा जेक्शन, होटल कलचुरी सहित एमपीईबी रेस्ट हाउस, बगी रेस्ट हाउस में कमरे आरक्षित करा दिए गए हैं। प्रोटोकॉल के

अलर्ट पर पुलिस प्रशासन

कल जबलपुर में जोनल प्रोफाईल वरि और कार्यक्रम को देखते हुये जिला प्रशासन आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों मंत्री तथा विधायकों के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके लिये व्यवस्थाएं करने में जुटा है। इसके चलते सर्पिंट हाउस क्रमांक एक और दो सहित रेस्ट हाउस, एमपीईबी के रेस्ट हाउस आदि में कमरे बुक कर व्यवस्थाएं बनायी जा रही हैं। माना जा रहा है कि कल सीएम के साथ मंत्री, विधायक, आला अधिकारी भी जबलपुर आएंगे। जिले में पूरे दिन वीवीआईपी भूवमंट रहेगा, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है।

पेट्रोल की आपूर्ति बनाये रखने एसडीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात

जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा ड्राइवों की हड़ताल के मद्देनजर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ऑयल और गैस डिपो एवं सड़क मार्ग पर शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी जिले में पदस्थ सभा एसडीएम तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को दी गई है। इस बारे में अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी एसडीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखेंगे। एसडीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र का पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित भ्रमण करने के तथा कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण हर गतिविधि की सूचना तत्काल अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, रांजी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्रामीण तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम में देने के निर्देश भी अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में दिये गये हैं।

डीजल-पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें : संभागायुक्त



जबलपुर। संभागायुक्त अभय वर्मा की अध्यक्षता में ड्राइवों को हड़ताल से निर्मित परिस्थितियों के निराकरण के लिये संभागायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह, फूड कंट्रोलर नदीमा शीरी के साथ जबलपुर पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शीर्ष अधिकारियों सहित एचपीसी के डिपो मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, जबलपुर मोटर ट्रांसपोर्ट, टैंकर व ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में ड्राइवों की हड़ताल के कारण एवं उसके निदान पर चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नवीनतम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (2) में यह प्रावधान किया गया है, कि उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा

मृत्युकारित करने के पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिये अभियुक्त निकल भागता है, तो वह 10 वर्ष की सजा तक का दण्ड का भागी होगा। उक्त प्रावधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन का चालक घटना स्थल पर रहे। वह उक्त सूचना थोड़ी दूर जाकर भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को फोन या अन्य माध्यम से दे सकता है। संभागायुक्त वर्मा ने कहा कि संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को जिनगी व सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें धर्म की स्थिति नहीं होनी चाहिए। टैंकर मालिकों द्वारा ड्राइवों को यह बात समझाई जाये। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये डीजल-पेट्रोल प्रोवाइडर्स से कहा कि डीजल-पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें। डीजल पेट्रोल की आपूर्ति रात में भी करें और संभाग के सभी जिलों में समुचित रूप से डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति हो। इसमें कहीं

अवरोध न हो। यदि लोकहित के कार्य में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि डीजल-पेट्रोल सप्लाई शुरू करने के लिये ऑयल कम्पनी अपने ड्राइवर को समझाई और तुरंत ईंधन सप्लाई का कार्य शुरू कर दें।

संभागायुक्त वर्मा की समझाइश पर सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सहमति देकर लोकहित में ईंधन की सप्लाई तत्काल शुरू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा ने कहा कि जनहित के कार्य में यदि कोई ड्राइवों को धमकाता है या उन्हें रोकता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तत्काल ही डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अपने ड्राइवों को समझाने की दिशा में काम करने को कहा।



शिविरों में हजारों हितग्राही हुए लाभांवित

जबलपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें सभी हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हेरों लाभ मिल रहे, हमारी सरकार की यही मंशा है कि प्रत्येक हितग्राही को उसका लाभ समय पर मिले इसके लिए सरकार संकल्पित है। उक्त विचार रेंगवा मिडिल स्कूल में आयोजित शिविर में पनागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील तिवारी इन्द्र भैया ने व्यक्त किये। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में हितग्राहियों को लाभ वितरण कर वार्डों में हरि झंडी दिखाकर रथ रवाना किया और हितग्राहियों को शपथ भी दिलाई।

गांधी भवन के सामने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पूर्व राज्यमंत्री शरद जैन ने कहा कि सरकार की योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ ही लाभ है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि हम सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाएं और भी आगे बढ़ें। यहां पर आयोजित शिविर में हजारों की संख्या में हितग्राहियों ने शामिल होकर योजनाओं का लाभ लिया। शिविर में मुख्य रूप से एम.आई.सी. सदस्य एवं पार्षद शगुप्ता उस्मानि गुड्डू नवी, पार्षद विवेकराम सोनकर, अंजू अनीता जाट (गोलू), पार्षद अर्चना सिसौदिया, निगमायुक्त स्वप्निल

वानखड़े, अपर आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, अंजू सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त वेदप्रकाश, संभागीय अधिकारी राकेश तिवारी, कुलदीप तिवारी, अजय लवाना, उपयंत्री अशोक वासनिक, केदारनाथ मंडेले, धर्मनंद राज, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रोहित गुप्ता, दीपक शर्मा, नोडल अधिकारी रश्मि साहू, योजना लिपिक अर्चना तिवारी, एवं वरिष्ठ नागरिकगणों में कुलदीप सिंह सिसौदिया, अरविंद तिवारी, कुणाल पटेल एवं अन्य कर्मचारी एवं स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, महिला बाल विकास बैंकिंग आदि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत पर कारावास

जबलपुर। अदालत ने फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत के मामले में जमानतदार को दोषी पाया। इसी के साथ आरोपित जबलपुर निवासी मुस्की लाल रजक को सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि मापेट के एक मामले में गिरफ्तार आजम हुसैन की जमानत के लिए आरोपित ने जमीन की ऋण पुस्तिका पेश की थी। संदेह होने पर न्यायालय ने उक्त ऋण-पुस्तिका की जांच के आदेश दिए थे। जांच दौरान पाया गया कि उक्त जमीन आरोपित मुस्की लाल रजक के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऋण पुस्तिका फर्जी है। जिसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में दोनों आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से र्दित किया। जबकि अन्य आरोपित आजम हुसैन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।

संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अजय पेंडाम की अदालत ने हत्या के आरोपित जबलपुर निवासी अज्जू उर्फ अजय चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी लहर दीक्षित ने सजा दिए जाने पर बल दिया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से वर्णा तिवारी दुबे, प्रभा विश्वकर्मा, संध्या चौधरी व अर्पित किरार ने झूठा फंसाणे का आरोप लगाया। दलील दी गई कि दीनदयाल चौक पर बस में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान आरोपित ने रामलखन गुप्ता को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान रामलखन की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से जोर देकर कहा गया कि आरोपित ने किसी का जीवन छीना है अतः उसे कठोर सजा दी जाए। जबकि बचाव पक्ष ने परिस्थिजन्य साक्ष्य की कड़ी टूटने सहित अन्य आधारों पर संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने की मांग की।

